उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या–55/8–3–2008–115 विविध/2007

लखनऊ : दिनांक : 5 जनवरी, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2509/8–3–06, दिनांक 20 जून, 2006 द्वारा विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की सम्बन्धित बोर्ड से अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित महायोजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराने के लिए समिति का गठन किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुक्रम में कार्यालय–ज्ञाप संख्या–5102/8–3–206, दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रश्नगत समिति को समस्त नगरों के सम्बन्धित बोर्ड से अनुमोदित एवं शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित परिक्षेत्रीय योजनाओं/जोनल डेवलपमेंट प्लान के परीक्षणोपरान्त संस्तुतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु भी अधिकृत किया गया है।

2. अवगत हैं कि महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान की संरचना उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–11 में निहित प्रक्रियानुसार की जाती है, अर्थात प्रारूप महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान पर प्राधिकरण बोर्ड का अनुोदन प्राप्त कर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण एवं उनकी सुनवाई/निस्तारण करते हुए यथासंशोधित महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान प्राधिकरण बोर्ड से अन्तिम अनुमोदन के उपरान्त शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित की जाती है। वर्णित स्थिति में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित एवं शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान में प्रश्नगत समिति की संस्तुतियों का समावेश किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।

3. अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था की जाती है कि प्रारूप महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान सम्बंधित विकास प्राधिकरण के माध्यम से शासन द्वारा गठित समिति के परीक्षण हेतु सन्दर्भित किए जाएंगे और समिति की संस्तुतियों/सुझावों को समावेशित करने के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे। कार्यालय–ज्ञाप संख्याः–2509/8–3–2996–दिनांक 02 जून, 2006 एवं उसके क्रम में जारी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–5102/8–3–2006–दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 को उक्त सीमा तक संशाोधित समझा जाये।

शंकर अग्रवाल

प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. समिति के समस्त सदस्य द्वारा सलाहकार आवास बन्धु।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह

विशेष सचिव